

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग

क्रमांक : प. 8(8)शिक्षा/गुप-3/2021


जयपुर, दिनांक 26/2/21

आदेश

जी.एच.एस. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुजानगढ़ जिला बुरु में स्नातक स्तर पर भूगोल विषय व स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, गणित विषय खोले जाने एवं राजकीय महाविद्यालय, बीदासर में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं राजनीति विज्ञान विषय खोलते हुए महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है -


1. जी.एच.एस. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुजानगढ़ जिला बुरु में स्नातक स्तर पर भूगोल विषय व स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, गणित विषय खोले जाने हेतु विभागीय बजट मद 2202-03-103-02-00 (राज्यनिधि मद) में 07 सहायक आचार्य के नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. राजकीय महाविद्यालय, बीदासर में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं राजनीति विज्ञान विषय खोलते हुए महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने हेतु विभागीय बजट मद 2202-03-103-02-00 (राज्यनिधि मद) में 12 सहायक आचार्य, 04 प्रयोगशाला सहायक व 04 प्रयोगशाला वाहक के नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इन पदों के सृजन के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तावित आपूर्तक/अनापूर्तक व्यय के संबंध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को परामर्श प्रदान किया जाता है कि विभाग द्वारा संबंधित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से राशि का व्यय किया जाये।
4. यह स्वीकृति वित्त विभाग (व्यय-1) विभाग की आई.टी संख्या 102101096 दिनांक 26.02.2021 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से


(संजय शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को मद्य उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20 (101/08) आयो/आकाशि/2021-22 मद्य नोटशीट के।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
12. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/8)/आयो/आकाशि/2021-22/ 657

दिनांक: 26/2/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय
11. संयुक्त निदेशक, एच आर डी/प्रशासन आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
13. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने/ संबंधित को ईमेल करने हेत।
14. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।